इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 जून 2020—आषाढ़ 8, शक 1942

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2020

क्र. एफ 21-56-2020-बी-1-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1975 का 1) की धारा 173 की उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विहित करती है कि जहां कहीं भी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी न्यायालय के समक्ष धारा 173(2) (एक) के अधीन कोई पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो वह उसी पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए समस्त संलग्न दस्तावेजों के साथ, प्रकरण की प्रथम सूचना प्रतिवेदन की इत्तला देने वाले व्यक्ति/पीड़ित, यदि कोई हो को भी निःशुल्क प्रदाय करेगा.

Notification No. F. 21-56-2020-B-1-Two.—In exercise of the powers conferred under the clause (ii) of sub-section (2) of Section 173 of Criminal Procedure Code, 1973 (1 of 1975), the State Government, hereby, prescribes that wherever an officer-in-charge of police station submits a police report under section 173(2)(i) before a Court, he shall also provide, free of cost, a copy of the same police report along with all annexed documents as being submitted before the Court, to the person/victim, if any who lodged the First Information report in the case.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.